

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी आनी, जिला कुल्लू का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 12/09 से 03/2014

1 प्रारम्भिक:-

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-एफ (1) 3/2000 ई-गवर्नेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत प्रदेश की सरकार की ई-गवर्नेन्स सोसाईटियों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों के लेखों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई-गवर्नेन्स सोसाईटी आनी के अवधि 12/2009 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री अनिल शर्मा (अनुभाग अधिकारी) एवं श्री रविन्द्र सिंह (अनुभाग अधिकारी) हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 14.11.2014 से 23.11.2014 के दौरान आनी में किया गया। ई-गवर्नेन्स सोसाईटी आनी का गठन, सभाएं पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित 1973) के अन्तर्गत किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 02/2010, 05/2010, 11/2011, 12/2012 एवं 11/2013 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 02/2010, 05/2010, 12/2011, 06/2012 एवं 02/2014 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समविष्ट किया गया है।

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के सचिव के पद पर कार्यरत रहे:-

सचिव	अवधि
श्री दर्शन कालिया	16.08.2010 से पूर्व
श्री श्रवण मांटा	16.08.2010 से 04.01.2013
श्री नीरज गुप्ता	04.02.2013 से वर्तमान समय तक

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्र०सं०	पैरा सं०	विवरण	₹ लाखों में
1	6	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना सामान का क्रय किया जाना	4.02
2	7	सासाईटी द्वारा खरीदे गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न किया जाना	0.53

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्क:-

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी आनी के अवधि 12/2009 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क कुल ₹12000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अध्याचना संख्या 207/2014 दिनांक 21.11.2014 द्वारा सचिव, ई-गवर्नेन्स सोसाईटी आनी से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति:-

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी आनी द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां/सेवाएँ भी प्रदान की जा रही है जैसा कि भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना व भूमि का पर्चा इत्यादि जारी करना इत्यादि। सोसाईटी द्वारा इन सभी सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त सेवा शुल्क का समांकित/इकटठा एक ही रोकड़ बही में लेखांकन किया जा रहा था तथा समस्त धनराशि को पंजाब नेशनल बैंक आनी के खाता संख्या 6242 में जमा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आय में से समस्त व्यय भी इकटठा ही किया जा रहा था। परिणामस्वरूप ई-गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की गई है अपितु सोसाईटी द्वारा अपनी समस्त गतिविधियों की समांकित वित्तीय स्थिति तैयार की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि की तथा इसके पश्चात परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके, परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति अलग से तैयार की जाए जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

		Financial Position		परिशिष्ट “क”		
		RLA Anni				
Year	Opening Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2009-10	-	101964	-	101964	24000	77964
2010-11	77964	263762	1486	343212	317852	25360
2011-12	25360	332200	3871	361431	314485	46946
2012-13	46946	202862	4021	253829	55647	198182
2013-14	198182	469067	11806	679055	568466	110589
Bank Reconciliation Statement						

	Balance as per Cash book as on 31.03.2014	110589
(+)	Cheque No. 13316 issued but not presented for payment presented for payment on Dt. 03-04-2014	(+) 660
(+)	Cheque No. 1349 issued but not presented for payment presented for payment on Dt. 04.04.2014	(+) 75000
	Balance as per Bank Account 7642	186249

4 यूजर चार्जिज की ₹320/- को रोकड़ बही एवं बैंक में जमा न करवाने बारे:-

रोकड़ बही एवं बैंक खाते में जमा की गई राशि की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 08.02.2010 को सारथी आय की ₹220 तथा वाहन आय की ₹100 अर्थात् कुल प्राप्त ₹320/- को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया था। इस राशि को अंकेक्षण द्वारा आपति दर्ज करने के उपरान्त दिनांक 15.11.2014 को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाया गया। अतः ₹320/- को लगभग चार वर्ष के उपरान्त बैंक में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण की ओर से यह भी सुझाव दिया जाता है कि सेवा शुल्क के रूप में आय को दिन प्रतिदिन के आधार पर बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

5 रोकड़ बहो तथा लेखों का रख रखाव नियमानुसार न किया जाना:-

(क) अंकेक्षण में रोकड़ बही की जांच में यह भी पाया गया कि रोकड़ बही के कई पृष्ठों का कुल योग गलत लगाए गए थे। रोकड़ बही का मिलान बैंक खाते से नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षण की ओर से सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ बही के दिन प्रतिदिन के योग सही प्रकार से लगाए जाए तथा मास के अन्त में मास के दौरान प्राप्त कुल आय और माह के दौरान किए गए कुल व्यय के विवरण के उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-एफ (1) 3/2000- ई-गवर्नेन्स दिनांक 03.09.2005 के पैरा संख्या 3 (ए) क अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव सुनिश्चित करते हुये प्रतिवर्ष बैलेन्स शीट तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का निर्माण सही ढंग से किया गया था और न ही रोकड़ बही में लेखाकित वित्तीय व्यवहारों से सम्बन्धित विभिन्न लेजरों का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा बैलेन्स शीट भी तैयार नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 204/2014 दिनांक 14.11.2014 द्वारा उप-मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई-गवर्नेन्स सोसाईटी आनी को सोसाईटी की बैलेन्स शीट प्रस्तुत

करने के लिए लिखा गया था। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में उप-मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई-गवर्नेन्स सोसाईटी आनी द्वारा पत्र संख्या 2906/MLC दिनांक 15.11.2014 द्वारा सूचित किया गया कि सोसाईटी द्वारा अवधि 12/2009 से 03/2014 की बैलेन्स शीट तैयार नहीं की गई है और जैसे ही यह बनाई जायेगी, उसी समय अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दी जायेगी, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में उनकी ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-एफ (1) 3/2000- ई-गवर्नेन्स दिनांक 03.09.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी की बैलेन्स शीट न बनाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अवधि 12/2009 से 03/2014 की बैलेन्स शीट वित्तीय वर्ष के आधार पर बनाई जानी सुनिश्चित की जाए, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹402100/-के सामान का कय किए जाने बारे:-

ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) आनी के नियमों के अनुसार व्ययों को करने से पूर्व अध्यक्ष, (आर0एल0ए0) सोसाईटी आनी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य थी परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न व्ययों के सम्बन्ध में जांच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹402100/- का भुगतान अध्यक्ष, (आर0एल0ए0) सोसाईटी आनी की स्वीकृति के बिना किया गया था अर्थात इन व्ययों को भुगतान करने से पूर्व अध्यक्ष, (आर0एल0ए0) सोसाईटी की आवश्यक/अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। अतः नियमों की अवहेलना करके ₹402100/- का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं इन व्ययों का अध्यक्ष, (आर0एल0ए0) आनी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा प्राप्त स्वीकृति को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जिसे भुगतान किया गया	वाउचर संख्या/दिनांक	राशि
M/S HP State Electronics Development Corporation Ltd. Shimla Bill No. 32401 Dt. 25-03-14 Acer Computer 6 Nos, Bill No. 32581 Dt. 24-04-14 Lazer Jet Printer A-3, 1 No., Bill No. 33044 Dt. 30-05-14 Lazer Jet Printer A-3, 1 No.	Nil\25-03-14	377100
M/S Deepak Computer Anni Bill No. 986 Dt. 03.10.2013, Lazer Printer 1No.	Nil\29-11-13	25000
	Total	₹402100

7 सोसाईटी द्वारा खरीदे गए ₹53595 /— के सामान की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां न किए जाने बारे:—

अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार खरीदे गए सामान की प्रविष्टियां सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी। अतः इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा नियमानुसार छानबीन की जाए तथा खरीदे गए सामान की प्रविष्टियों को पूर्ण विवरण सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में खरीदे गये सामान की स्टॉक प्रविष्टियां नियमानुसार यथासमय स्टॉक रजिस्टर में की जाए और कृत कार्रवाई से इस विभाग को सूचित किया जाए।

जिसे भुगतान किया गया	वा0सं0/दिनांक	राशि	अनिवार्य औपचारिकता जिसे पूर्ण नहीं किया गया था
M\S Deepak Computers Anni, Bill No. 868 Dt. 28.05.2013 P\O 24 Port Hub	शून्य/31.05.2013	3800	स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।
M\S Deepak Computers Anni, Bill No. 890 Dt. 18.06.2013 P\O Tonner 36A No. Paper Rim 1 No.	शून्य/25.06.2013	4690	स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।
Mcleod life & Fire Safety Anni Bill No. 026, VGA Computer Cable 25 mtr.	शून्य/25.06.2013	1500	स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।
Infsoft Solutions Kullu Bill No. R1-340 Registration Certificate etc.	शून्य/31.07.2013	18840	स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।
Infsoft Solutions Kullu Bill NoR1-340 Ink Cartridge 4 PC, Ink Cartridge 1 Pc	शून्य/23.06.2012	3695	स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।
M\S Deepak Computers Anni Ink Tank 100 ML each Printer EPSON 535	शून्य/18.09.2013	10500	स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।
M\S ICA Anni P\O Stationery	शून्य/04.08.2013	2200	स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।
P2P Palaza P\O Stationery, Tonner 36A	शून्य/10.11.2010	4170	स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।
ICA Anni Bill. No. Nil, Dt. Nil, P\O Tonner	शून्य/09.02.2011	2000	स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की कोई प्रविष्टि नहीं

ICA Anni Bill No. 404 Dt. शून्य / 31.03.2011
30-03-2011

की गई थी।
2200 स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए
सामान की कोई प्रविष्टि नहीं
की गई थी।

योग

₹53595

8 विविध:—

केन्द्रीय ईकाई कुल्लू से समय-2 पर ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) आनी को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) आनी से केन्द्रीय ईकाई कुल्लू को समय-2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 लघु आपत्ति विवरणी:—इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

10 निष्कर्ष:— निधि लेखाओं के रख-रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 29/2014 खण्ड-1-2301-2305 दिनांक 14.05.2015, शिमला-171009

पंजीकृत:—1 उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई-गवर्नेन्स सेन्टर (आर0एल0ए0) आनी, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

- 2 जिलाधीश कुल्लू जिला कुल्लू (हि0प्र0)
- 3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला-03
- 4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला-02
- 5 श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता /—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009